एस.एम.जे.एन.;पी.जी. कॉलेज, हरिद्वार

(श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथॉल, टिहरी)

शैक्षणिक कैलेण्डर - 2021-22

आवेदन प्रारम्भ

1. प्रवेश फार्म पंजीयन 16 अगस्त, 2021
2. सत्र प्रारम्भ 01 अक्टूबर, 2021
3. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन पत्र पंजीयन की अन्तिम तिथि : 31 अगस्त, 2021
4. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि : 13 सितम्बर, 2021
5. स्नातक/स्नातकोत्तर की अन्य समस्त कक्षाओं में प्रवेश की अन्तिम तिथि : विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के 20 दिन के भीतर

नोट कोविड-19 के दृष्टिगत उक्त शैक्षणिक कलैण्डर 2021-22 राज्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/भारत सरकार के निर्देशानुसार परिवर्तनीय रहेगा।

प्रवेश सम्बन्ध नियम एवं निर्देश

ऑनलाईन प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करते समय वांछित प्रमाण-पत्र अपलोड/स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी तथा प्रथमवार साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्र अवलोकित करवाने होंगे।

हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ।

अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग तथा अन्य लाभों हेतु प्रमाण-पत्र।

स्नानान्तरण प्रमाण-पत्रा एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।

पासपोर्ट साईज के नवीनतम सफेद शर्ट एवं टाई वाला फोटो प्रवेश आवेदन पत्रा पर निर्धरित स्थान पर अपलोड़ करना होगा।

व्यक्तिगत रुप से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी किसी राजपत्रित अधिकारी /सांसद/विधानसभा सदस्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रुप से संलग्न करें।

आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जा सकेगा।

जो प्रवेशार्थी गत सत्र में महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हो, उसके लिए प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ केवल विगत परीक्षा की अंकतालिका ही प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना तथा निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा करना पर्याप्त होगा।

जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश समिति के अनुमोदन पर प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें निर्धारित तिथि तक बैंक में पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रतीक्षा सूची से अन्य विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विषय में निर्धरित सीटों पर प्रवेश मैरिट के आधार पर देय होगा।

प्राचार्य को प्रमाण-पत्रों की सत्यता प्रमाणित न होने की दशा में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा।

बी.ए. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में आवेदन हेतु 40 प्रतिशत, विज्ञान वर्ग में 45 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग में 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक अनिवार्य हैं। प्रवेश मैरिट के आधार पर होगा तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा, केवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

39.99 प्रतिशत को 40 प्रतिशत या 44.99 प्रतिशत को 50 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1144/कार्मिक-2-2001-53;1/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 के अनुसार, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14 प्रतिशत, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। सक्षम अधिकारी से तात्पर्य जिलाधिकारी/उप-जिलाधिकारी से है।

अधिसूचना सं. 64/ 2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग ; के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण ;10 प्रतिशत देय होगा तथा इसके सम्बन्ध् में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

महिला, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

महिलायें - 30 प्रतिशत, कार्यरत एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बलों के आश्रितों भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित 05 प्रतिशत, दिव्यांगशक्ति- 04 प्रतिशत।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-02 प्रतिशत ;जो छात्र/छात्रा जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा दिव्यांग अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साध्किरी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उत्तराखण्ड क्षेत्र के निवासियों को प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत जिले के जिलाधिकारी/उप-जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप में प्रदत्त नवीनतम प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही प्रवेश में आरक्षण सुविधा अनुमन्य होगा।

छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर पर 06 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 04 वर्ष ही अध्ययन करने की सुविधा होगी।

प्रत्येक कक्षा में प्रवेश उपलब्ध् सीटों के अनुसार योग्यता क्रम से होगा।

इस संस्था में प्रवेश लेने वाला कोई भी अभ्यर्थी एक ही सत्र में अन्य किसी दूसरी संस्था में प्रवेश नहीं लेगा।

अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्षों तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकता है। दो वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात प्रवेश देय नहीं होगा।

सभी प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु विषयों का चयन विवेकपूर्ण तरीके से करें। शुल्क जमा होने के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना पुलिस वैरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

प्रवेश निरस्त होने पर कोई भी शुल्क वापस नहीं होगा।

महाविद्यालय के समस्त प्रवेशार्थियों/वरिष्ठ छात्रों को यूजीसी की वेबसाईट पर एंटीरैगिंग हेतु पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा एवं उसकी हार्ड कॉपी प्रवेश के समय जमा करनी होगी।

महाविद्यालय में शासन द्वारा छात्रा-छात्राओं के लिए यूनीफार्म में आना अनिवार्य है।

कला संकाय में प्रवेश हेतु :

प्रत्येक अभ्यर्थी को बी.ए. प्रथम वर्ष में निम्नलिखित में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना होगा। अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, संस्कृत, संगीत। इन तीन विषयों के अतिरिक्त पर्यावरण विषय प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है।

वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु :

बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, परन्तु प्रवेश मैरिट के आधार पर उपलब्ध् सीटों पर किये जायेंगे। जिन प्रवेशार्थियों का इंटरमीडिएट अन्य विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा उल्लिखित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही उन्हें बी.कॉम. की उपाधि् प्रदान की जायेगी।

विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतु :

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में प्रवेश की सुविध है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान।

बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर में मैरिट के आधार पर उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान के छात्रा रहे हों।

बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता क्रम निर्धारित हेतु इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है, प्रवेश मैरिट के आधार पर उपलब्ध् सीटों पर ही किये जायेंगे।

प्रवेश एवं महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनायें कॉलेज वेबसाईट/सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है। सभी प्रवेशार्थी/विद्यार्थी सूचनाओं का अवलोकन करते रहें।

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्ब(छात्र-छात्राओं पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नियम एवं हे.नं.ब.गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्ब(छात्र-छात्राओं पर हे.नं.ब.गढ़वाल विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे। इस वर्ष प्रवेश ऑनलाईन होंगे। कॉलेज वेबसाईट पर प्रवेश सम्बन्धी सूचना के अनुसार आवेदन करें। प्रवेश हेतु अर्ह पाये जाने पर आवेदक को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित सम्बन्धित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा। यदि मुद्रण में कोई त्रुटि अथवा अनुच्छेद मुद्रित होने से रह गया हो तो इस क्रम में महाविद्यालय/सम्बन्धित विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के सामान्य अनुच्छेद मान्य होंगे।